

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा.अधि./14-15/1841

भोपाल, दिनांक 07/09/2015

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/लेखा/14-15/727-728 दिनांक 01.11.2014 में आंशिक संशोधन कर नवनिर्मित कार्यपालन यंत्र, (तकनीक) आंचलिक कार्यालय के गठन होने से मैं अरूण पाण्डेय, प्रबंध संचालक संशोधित वित्तीय अधिकार की कंडिका क्रमांक 01 लगायत 03 में वर्णित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित करता हूँ।
उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(अरूण पाण्डेय)

प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा.अधि./14-15/1841

भोपाल, दिनांक 07/09/2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
04. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्र (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
05. समस्त संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय।
06. समस्त कार्यपालन यंत्र, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय।
07. समस्त कार्यपालनयंत्र (यांत्रिकी), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय।
08. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक/लेखाधिकारी, मण्डी बोर्ड, भोपाल।
10. समस्त पटल प्रभारी, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर पालनार्थ।
11. आदेश नस्ती।

प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड


भोपाल

कार्यपालन यंत्री (तकनीकि) आंचलिक कार्यालय के संशोधित प्रत्यायोजित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

क्रमांक	मद क्रमांक	मद का विवरण	संशोधित प्रावधान		टिप्पणी
01	02	03	06	07	08
01	03	कार्यालयीन कार्य हेतु वाहन एवं मशीनरी किराये पर लेने के अधिकार	कार्यपालन यंत्री, (तकनीकि) आंचलिक कार्यालय	रूपये पचास हजार एक समय	बजट प्रावधान एवं बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार
02	नवीन मद	आंगतुक एवं अतिथियों के स्वागत/समसायिक बैठकों के व्यय की स्वीकृति	कार्यपालन यंत्री, (तकनीकि) आंचलिक कार्यालय	रूपये पांच हजार तक प्रतिमाह	बजट प्रावधान एवं बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार
03	नवीन मद	अधिवक्ता तथा न्यायालयीन व्यय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक मुख्य अभियंता कार्यपालन यंत्री, (तकनीकि) आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार रूपये पच्चीस हजार प्रति प्रकरण रूपये दस हजार प्रति प्रकरण	बजट प्रावधान एवं बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार

टीप :- व्याख्या/स्पष्टीकरण

01. प्रबंध संचालक को सामान्यतः प्रत्येक मद में वित्तीय नियंत्रण हेतु पूर्ण होंगे। जिन कार्यों में स्पष्ट व्याख्या नहीं है उनमें भी प्रबंध संचालक को कार्य की आवश्यकता तथा महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उचित आधार पर नियमानुसार स्वीकृति देने के पूर्ण अधिकार होंगे।
02. प्राधिकारी जिन्हें कि अधिकार प्रदत्त है उसके नियमानुसार पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।


 (अरुण काश्यप)

प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

५ भोपाल